उ0प्र0 वेब मीडिया नीति 2016 में वर्णित प्रस्तरों में संशोधन का प्रस्तावः–

प्रस्तर संख्या 1	वर्तमान व्यवस्था 2	निदेशक सूचना द्वारा प्रस्तावित संशोधन 3	प्ररीक्षणोपरांत प्रस्तावित संशोधन 4	अभ्युक्ति 5
1.2	जिन वेबसाइट और पोर्टल द्वारा विज्ञापन के लिए आवेदन किया जाएगा उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में कराना अनिवार्य होगा।	सूचना विभाग में न्यूज वेब साइट्स और न्यूज पोर्टल्स विज्ञापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। डीएवीपी में सूचीबद्ध न्यूज वेबसाइट्स और पोर्टल्स भी सूचना विभाग में इसी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे लेकिन उन्हें डीएवीपी दरों पर ही सूचीबद्ध किया जाएगा।	सूचना विभाग में वेब साइट्स/पोर्टल्स विज्ञापन हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध किये जायेगें। डीएवीपी में सूचीबद्ध वेबसाइट्स और पोर्टल्स भी सूचना विभाग में इसी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे लेकिन उन्हें डीएवीपी दरों पर ही सूचीबद्ध किया जाएगा।	न्यूज वेबसाइट्स /न्यूज पोर्टल्स के अलावा अन्य वेबसाइटस/ पोर्टल पर भी विज्ञापन दिए जानेकी व्यवस्था रहनी चाहिए।
2.2	विज्ञापन उन वेब साइट/ पोर्टल्स को दिया जाएगा, जिनकी प्रति माह हिट्सकी न्यूनतम संख्या 2.5 लाख हिट्स होगी।	प्रति माह हिट्स की संख्या की गणना निम्न दो श्रेणियों में की जाएगी। (ए) विज्ञापन उन वेबसाइट/पोर्टल को दिया जाएगा, जिनकी प्रति माह हिट्स की न्यूनतम संख्या 1 से 2.50 लाख हिट्स तक होगी। (बी) विज्ञापन उन वेबसाइट्स / पोर्टल्स को दिया जाएगा, जिनकी प्रति माह हिट्स की न्यूनतम संख्या 2.5 लाख हिट्स होगी।	विज्ञापन उन वेब साइट्स / पोर्टल्स को दिया जाएगा जिनकी प्रतिमाह हिट्स की संख्या न्यूनतम 1 लाख होगी।	
2.3	हिट्स की गणना हेतु 6 महीने का औसत आधार लिया जाएगा। गणना हेतु सूचनाएवं	(ए) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग किसी भी न्यूज वेबसाइट्स या न्यूज पोर्टल्स के हिट्स की गणना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में	(ए) हिट्स की गणना हेतु तीन महीने का औसत आधार लिया जाएगा। (बी) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	हिट्स की गणना हेतु कम से कम तीन महीने का औसत आधार लिया जाना

	जनसम्पर्क विभाग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में वेबसाइट्स ट्रैफिक मानीटर करती हो, को स्वीकार किया जाएगा।	वेबसाइट्स के ट्रैफिक मानीटरिंग में दक्ष हों, उनमें से किसी एक को बिडिंग के आधार पर आवश्यकता अनुसार अथवा नियमित रूप से ट्रैफिक मानीटर करने हेतु हायर कर सकता है। उस दशा में हायर एजेंसी न्यूज वेबसाइट्स तथा पोर्टल्स द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट्स ट्रैफिक रिपोर्ट के सत्यापन सूचना विभाग के लिए करेगी। (बी) सूचना विभाग उपरोक्त हायर एजेंसी से आईपी ट्रैफिक एनालिसिस, कि यूपी में किस वेबसाइट का कितना ट्रैफिक है, इसका परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उल्लिखित एजेंसी हायर न करने की दशा में पूर्व से प्रचलित एजेंसियों की ट्रैफिक की रिपोर्ट मान्य होगी।	किसी भी न्यूज वेबसाइट्स या न्यूज पोर्टल्स के हिट्स की गणना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में वेबसाइट्स के ट्रैफिक मानीटरिंग में दक्ष हों, उनमें से किसी एक को बिडिंग के आधार पर आवश्यकता अनुसार अथवा नियमित रूप से ट्रैफिक मानीटर करने हेतु हायर कर सकता है। उस दशा में हायर एजेंसी न्यूज वेबसाइट्स तथा पोर्टल्स द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट्स ट्रैफिक रिपोर्ट के सत्यापन सूचना विभाग के लिए करेगी। (सी) सूचना विभाग उपरोक्त हायर एजेंसी से आईपी ट्रैफिक एनालिसिस, कि यूपी में किस वेबसाइट का कितना ट्रैफिक है, इसका परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उल्लिखित एजेंसी हायर न करने की दशा में पूर्व से प्रचलित एजेंसियों की ट्रैफिक की रिपोर्ट मान्य होगी।	उचित प्रतीत होता है।

2.6	अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों द्वाराप्रकाशित / मुद्रित एवं सम्पादित वेब मीडियाको शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किए जाएंगे।	(ए)'किसी भी न्यूज वेबसाइट या न्यूज पोर्टल पर समाचार के प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य विवाद पर पीआरबी एक्ट–1867तथा प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के दायरे में, जो भी आता हो, उसे आईटी एक्ट (साइबर एक्ट) 2000 तथा 2008 के प्रावधानों की क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मे पर पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा जांच अनुकूल प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। (बी) गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त तथा अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित/मुद्रितएवं सम्पादित न्यूज वेबसाइट तथा पोर्टल को शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किए जाएंगे।	(ए)'किसी भी न्यूज वेबसाइट या न्यूज पोर्टल पर समाचार के प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य विवाद पर पीआरबी एक्ट–1867 तथा प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के दायरे में, जो भी आता हो, उसे आईटी एक्ट (साइबर एक्ट) 2000 तथा 2008 के प्रावधानों की क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मे पर पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा जांच अनुकूल प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। (बी) गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त तथा अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित / मुद्रितएवं सम्पादित न्यूज वेबसाइट तथा पोर्टल को शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किए जाएंगे।	
2.7	'विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु सम्बंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स	विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु सम्बंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबिल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट	'विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु सम्बंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबिल होना	

	(मोबाइल ब्राउजर्स सहित)से कम्पेटिबिल होना अनिवार्य होगा।	या पोर्टल की समाचार सामग्री सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाटसएप आदि पर भी ससमय पढ़ी जा सके।	अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट या पोर्टल की समाचार सामग्री सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाटसएप आदि पर भी ससमय पढ़ी जा सके।	
2.8	विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमो को निम्नलिखित तीन श्रेणीयो में वर्गीकृत किया जायेगा।	प्रस्तर संख्या–2.2 में नई सृजित श्रेणी का प्रस्ताव है। **(सृजित श्रेणी में सूचीबद्ध किए जाने वाली न्यूज वेब साइट तथा पोर्टल के लिए सीपीटीई के आधार पर विशेष दर 15 रुपए निर्धारित की जाती है।)** श्रेणी (बी) के अंतर्गत आने वाली न्यूज वेबसाइट न्यूज पोर्टल के लिए विज्ञापन दरों में वेब मीडिया नीति के पृष्ठ–4–पर अंकित दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह दरें पूर्ववत जारी रहेंगी।	विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमो को निम्नलिखित चार श्रेणीयो में वर्गीकृत किया जायेगा। समूह 'क'– 50 लाख से अधिक। समूह 'ख' 20 लाख से अधिक से 50 लाख तक। समूह 'ग' 2.5 लाख से अधिक से 20 लाख तक । समूह 'घ' 1लाख से 2. 5 लाख तक। (यूनिक यूजर प्रतिमाह) **(सृजित श्रेणी 'घ' में सूचीबद्ध किए जाने वाली न्यूज वेबसाइट तथा पोर्टल के लिए सीपीटीटाई के आधार पर विशेष दर 15 रुपए निर्धारित की जाती है।)** शेष श्रेणियों की वेबसाइट/पोर्टल के लिए विज्ञापन दरों में वेब मीडिया नीति के पृष्ठ–4–पर अंकित दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह दरें पूर्ववत जारी रहेंगी।	विज्ञापन उन वेबसाइट / पोर्टल को दिया जाएगा जिनकी प्रतिमाह हिट्स की संख्या न्यूनतम 1 लाख होगी। गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार की जायेगी।

2.10	'सूचना विभाग के विज्ञापन प्रथम स्क्रॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) पर होना आवश्यक होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन हो सके।द्वितीय स्क्रॉल/मुख पृष्ठ (होम पेज) के नीचे प्रदर्शित विज्ञापनों को विज्ञापन हेतु कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।	(ए) सूचना विभाग के विज्ञापन (स्क्रिप्ट स्ट्रिप या आडियो अथवा वीडियो) प्रथम स्कॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) पर लीडर बोर्ड में प्रकाशित होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पेज, जिस पर उत्तर प्रदेश से सम्बंधित खबरें होती हैं, उस पेज के लीडर बोर्ड में भीएक साथ प्रकाशित करना होगा। (बी) होम पेज तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम पेज के अलावा निदेशक, सूचना किसी भी न्यूज वेबसाइट्स या पोर्टल्स के उल्लिखित स्थानों के अलावा किसी भी अन्य प्रासंगिक स्थान पर विज्ञापन के प्रकाशन के आदेश निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।	(ए) सूचना विभाग के विज्ञापन (स्क्रिप्ट स्ट्रिप या आडियो अथवा वीडियो) प्रथम स्कॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) पर लीडर बोर्ड में प्रकाशित होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पेज, जिस पर उत्तर प्रदेश से सम्बंधित खबरें होती हैं, उस पेज के लीडर बोर्ड में भीएक साथ प्रकाशित करना होगा। (बी) होम पेज तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम पेज के अलावा निदेशक, सूचना किसी भी वेबसाइट्स या पोर्टल्स के उल्लिखित स्थानों के अलावा किसी भी अन्य प्रासंगिक स्थान पर विज्ञापन के प्रकाशन के आदेश निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।	

टिप्पणीः–(i). वेब मीडिया नीति–2016 में विज्ञापन हेतु जहॉ–जहॉ **'रजिस्ट्रेशन'** शब्द आया है उसे अब **'सूचीबद्ध'** पढ़ा जाएगा।

(ii).वेब मीडिया नीति–2016 के अंतर्गत हिट्स की गणना 'यूनिक यूजर प्रतिमाह' के आधार पर की जाएगी।

2. निदेशक सूचना द्वारा उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति–2016 में निम्न अतिरिक्त प्रस्ताव के समावेश की भी आवश्यकता का प्रस्ताव भी प्रेषित किया है। जिस पर परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव निम्नवत् है जिसे उ0प्र0 वेब मीडिया नीति 2016 के प्रस्तर–3 (ए) के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित हैः–

(i) सूचना विभाग में विज्ञापन हेतु सम्बद्धता के लिए किसी भी न्यूज वेबसाइट अथवा न्यूज पोर्टल का वैप आधारित (Compatibility on Mobile phone) होना आवश्यक है, जो वेबसाइट्स या पोर्टल मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं हैं उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना विभाग में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

(ii) सूचना विभाग उन वेबसाइट्स तथा पोर्टल्स को विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करेगा जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के अंदर होगा।

(iii) सूचना विभाग ऐसी वेबसाइट्स तथा पोर्टल्स को विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता देगा जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में हों तथा उनमें 50 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश से सम्बंधित समाचार सामग्री प्रकाशित की जाती होगी।

(iv) सूचना विभाग ऐसी वेबसाइट्स और पोर्टल्स को भी विज्ञापन निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होगा जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है परंतु वह अपनी वेबसाइट्स या पोर्टल्स में 50 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश से सम्बंधित समाचार सामग्री नियमित रूप से प्रकाशित करते हों।

(v) सूचना विभाग ऐसी प्रतिष्ठित विदेशी वेबसाइट्स अथवा पोर्टल्स को भी विज्ञापन निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होगा जिनमें उत्तर प्रदेश के समाचार नियमित रूप से, भारत के समाचारों के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में अवश्य प्रकाशित होते हों।

(vi) वेब सीरीज़ के लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त दरों पर भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। निर्गत विज्ञापन के कुल मूल्य का (कर रहित) अधिकतम 03 प्रतिशत भुगतान वेब सीरीज़ के लिए मान्य होगा। ऑडियो/वीडियो विज्ञापनों के लिए भी यही दर मान्य होगी।

(vii) पॉप अप्स के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त दरों पर भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। निर्गत विज्ञापन के कुल मूल्य का (कर रहित) अधिक से अधिक 02 प्रतिशत भुगतान पॉप अप्स के लिए मान्य होगा। ऑडियो/वीडियो विज्ञापनों के लिए भी यही दर मान्य होगी।

(viii) रोड ब्लाक अथवा इंटर टीशियल (स्लाइडिंग) के लिए भी किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। निर्गत विज्ञापन के कुल मूल्य का (कर रहित) अधिकतम 03 प्रतिशत भुगतान पर रोड ब्लाक अथवा इंटर टीशियल के लिए मान्य होगा। ऑडियो/वीडियो विज्ञापनों के लिए भी यही दर मान्य होगी।

इस संबंध में किसी भी प्रकार का सुझाव विभागीय ईमेल आईडी upsoochna@gmail.com पर अथवा डाक से या स्वंय द्वारा निदेशक, सूचना, सूचना निदेशालय, पार्क रोड, लखनऊ को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।